राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र

भुवनेश्वर

हिंदी कार्यशाला 17/06/2022 : एक रिपोर्ट

देश की राजभाषा नीति के नियमानुसार सभी सरकारी कार्यालयों में देवनागरी हिंदी में काम करना अनिवार्य किया गया है और हिंदी कार्य में आनेवाली कठिनाई, झिझक, शंका, आशंकाओं को दूर करने के लिए प्रत्येक तिमाही में एक हिंदी कार्यशाला का आयोजन करना अनिवार्य है। इस उद्देश्य को अमल में लाने हेतु राष्ट्रीय सूचना – विज्ञान केंद्र, भुवनेश्वर में वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही कार्यशाला का आयोजन दिनांक 17/06/2022 को अपरान्ह 3.00 बजे राज्य सूचना –विज्ञान अधिकारी(SIO) श्रीमती कविता रॉय दास की अध्यक्षता में किया गया।

दीप प्रज्ज्वलन तथा गणेश वंदना के साथ कार्यशाला का शुभारम्भ

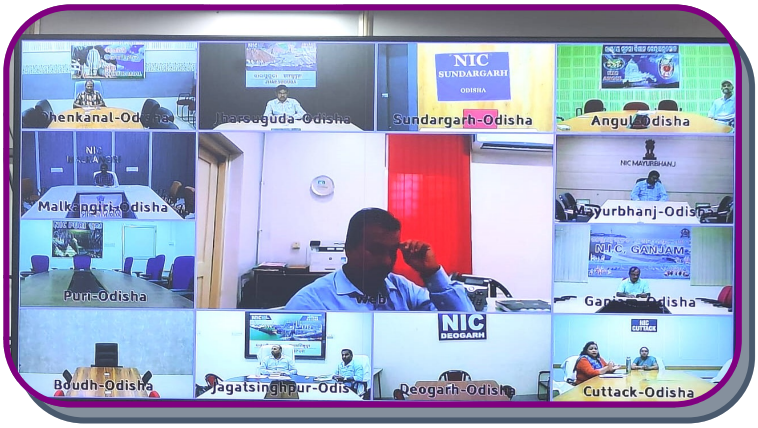

इस कार्यशाला में जिलाधिकारियों ने भी VC के माध्यम से भाग लिया। कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि भुवनेश्वर स्थित लेखा एवं हकदारी (AG) ऑफिस के वरिष्ठ लेखा अधिकारी श्री मनोरंजन पाणिग्राही जी उपस्थित थे।

कार्यशाला का विषय: "पेंशन लाभ तथा जीपीएफ़ संबंधी जानकारी

सभी उपस्थित प्रतिभागी तथा जिलाधिकारियों का स्वागत करते हुए सुश्री अलका प्रधान ने राजभाषा नीति पर ज़ोर देते हुए कहा कि हिन्दी कार्यशाला महज़ एक औपचारिकता ही रह न जाए बल्कि इसका उद्देश्य तभी सार्थक होगा जब कार्यालयीन कामकाज में राजभाषा का प्रयोग अधिक से अधिक हो।

मुख्य अतिथि एवं उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए अपने वक्तव्य में ASIO महोदय श्री एस ए खाँ कहा कि जैसे अन्य सरकारी नियमों का पालन हम बखूबी करते हैं, वैसे ही हिन्दी के प्रति हमारी प्रतिबद्धता होनी चाहिए । हमें कार्यालयीन कामकाज में हिन्दी का प्रयोग अधिकाधिक करना चाहिए । हिन्दी को रोज प्रयोग में हम लाएँगे तो गलतियों में सुधार होगी तथा मनोबल भी बढ़ेगा और भारत सरकार की राजभाषा नीति के लक्ष्य को भी प्राप्त कर पाएंगे।

मुख्य अतिथि श्री मनोरंजन पाणिग्राही जी ने पेंशन के प्रकार, पात्रता, पेंशन लाभ आदि विषय पर विस्तार से समझाया। इसके साथ साथ जीपीएफ़ से संबन्धित मुख्य विषयों पर विस्तार से चर्चा की । प्रतिभागियों के प्रश्नों को मुख्य अतिथि महोदय ने सरल रूप से समझाया।

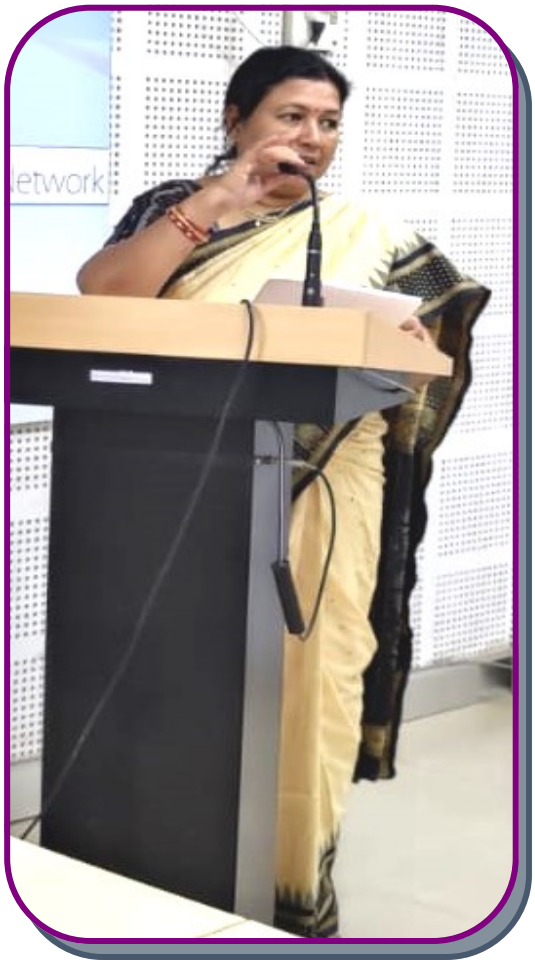

अंत में उपध्यक्षा श्रीमती सुजाता दास के मुख्य अतिथि तथा उपस्थित पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यशाला का सत्र सम्पन्न हुआ।

सम्मानीय अतिथि महोदय को साप्प्लिंग तथा स्मृति फलक प्रदान

कार्यशाला में उपस्थित अधिकारिगण